न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गंगापुर जिला भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी— विकास पंचोली (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :— 183/2016 (2016/00345) प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट

अनवान

1. मनोहर लाल पिता मोडिराम खटीक निवासी देवरिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा।

——प्रार्थी

बनाम

1. श्रीमति पारसदेवी पत्नी उदयलाल बलाई निवासी बागोर तहसील माण्डल जिला भीलवाड़ा।
2. गोपीलाल पिता मांगीलाल रेगर निवासी ज्ञानगढ़ तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा।
3. मांगीलाल पिता धन्ना बलाई निवासी कोशीथल तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
4. भैरूलाल पिता धन्ना बलाई निवासी कोशीथल तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
5. रूकमण पिता मोती बैरवा निवासी कोशीथल तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
6. गुलाबी पिता मोती बैरवा निवासी कोशीथल तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
7. नारायण पिता मोती बैरवा निवासी कोशीथल तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
8. मीठु पिता मोती बैरवा निवासी कोशीथल तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।

——विपक्षीगण

:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 ::

निर्णय दिनांकः— 25/02/2020

:: आदेश ::

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 के तहत विपक्षी के विरूद्व प्रस्तुत कर ग्राम कोशीथल पटवार हल्का कोशीथल तहसील सहाड़ा के बैरून हल्का आबादी मे प्रार्थी के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 3593/2 रकबा 0.50हे0 3591/2 रकबा 0.70हे0 3592/2 रकबा 0.30हे0 3605/2 रकबा 0.16हे0 3606 रकबा 0.33हे0 3607 रकबा 0.29हे0 3608/2 रकबा 0.34हे0 कुल किता 07 कुल रकबा 2.62हे0 राजस्व खाता संख्या 295 पर स्थित हैं। भूमि प्रार्थी के खातेदारी अधिकार की है जिसकी जमाबन्दी सम्वत् 2071 से 2074 संलग्न हैं। प्रार्थी द्वारा उक्त भूमि सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढी किये जाने की इस्तदुआ की।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। विपक्षीगण को विधिवत सूचना पत्र जारी किया जाकर सूचित किया गया। विपक्षीसंख्या 01, 03 एवं 04 बावजूद सूचना के अनुपस्थित, अतः एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये गये। विपक्षी संख्या 2 व 5 से 8 के विरूद्ध प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा कोई कार्यवाही नही चाही गई।। प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी को सुना गया। बाद सुनवाई मैने प्रार्थना पत्र का अवलोकन कर गहन मनन किया। प्रार्थी पत्र के अवलोकन से प्रार्थी के प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट को स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.01.05 16:24:05 IST
Reason: SelfAttested

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल.आर.एक्ट स्वीकार किया जाता है एवं ग्राम कोशीथल पटवार हल्का कोशीथल तहसील सहाड़ा के बैरून हल्का आबादी मे प्रार्थी के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 3593/2 रकबा 0.50हे0 3591/2 रकबा 0.70हे0

उप खण्ड अधिकारी गंगापुर जिला भीलवाड़ा

लगातार...02

3592/2 रकबा 0.30हे0 3605/2 रकबा 0.16हे0 3606 रकबा 0.33हे0 3607 रकबा 0.29हे0 3608/2 रकबा 0.34हे0 कुल किता 07 कुल रकबा 2.62हे0 भूमि स्थित है। भूमियों का बसामलात पक्षकारान के पत्थरगढ़ी की जाने के आदेश किये जाते हैं, **उक्त भूमि में दोनों पक्षों की उपस्थिति में किसी को बिना बेदखली एवं बिना किसी के कब्जे काश्त में दखलान्दाजी किये पत्थरगढ़ी की जावें। यदि पत्थरगढी के उपरान्त किसी का प्रतिकूल कब्जा पाया जाता हैं तो धारा 183 आर.टी.ए. के तहत वाद पेश करने के लिए पाबंद किया जावें।** प्रार्थी बतौर पत्थरगढी शुल्क राशि 450/– (चार सौ पच्चास रूपये मात्र) राजकोष में जमा करावें तथा पत्थरगढी की कमिश्नर फीस राशि राशि 450/– (चार सौ पच्चास रूपये मात्र) सम्बन्धित भु–अभिलेख निरीक्षक को मौके पर प्रार्थी अदा करें। पालनार्थ तहसीलदार सहाड़ा मु0 गंगापुर को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 28/02/2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी
सहाड़ा (भीलवाड़ा)

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.01.05 16:24:05 IST
Reason: SelfAttested

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2020.02.28 16:30:23 IST
Reason: SelfAttested
Location: